न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूची 14 फार्म सं0–162

गंगा मालतो
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–गुमा पहाड न0 84

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 34/2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
3.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 532/रा0 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा– गुमा पहाड न0 84 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– गुमा पहाड न0 84 में दिनांक 14.07.2019 को श्री अर्जुन मालतो के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री गंगा मालतो पिता–स्व0 मैसा मालतो, ग्राम– गुमा पहाड, को मौजा– गुमा पहाड न0 84 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– गुमा पहाड न0 84 बेचिरागी मौजा है। जिसके रैयत के वारिसान अगल–बगल के ग्रामों में निवास करते हें। उक्त मौजा एक प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधान का पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगा मालतो पिता–स्व0 मैसा मालतो, ग्राम–गुमा पहाड, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज को सर्व सम्मति से प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री गंगा मालतो एक शिक्षित व्यक्ति है। खतियानी रैयत के वंशज है, एवं प्रधानी कार्य करने में सक्षम है। अतएव श्री गंगा मालतो प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री गंगा मालतो को मौजा– गुमा पहाड थाना न0 84 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। ज्ञापांक 369/रा0 दिनांक 2.8.19 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	

Scanned with CamScanner